

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email- mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

क्रमांक:- प.3(5)/रा.आ.मि./वित्त-क्रय समिति/2015-16/ 266-76 जयपुर, दिनांक:- 17/2/16

संशोधित ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा)

आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी औषधियों के क्रय हेतु जारी ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा) क्रमांक प.3(5)रा.आ.मि./वित्त-क्रय समिति/2015-16/145-155 दिनांक 28.01.2016 में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी निर्मित औषधियों के लिए निर्धारित ई-बोली प्रपत्र के तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 की क्रम संख्या 8, 13 व 14 तथा औषधी, आपूर्ति की बोली की सामान्य शर्तों के बिन्दु संख्या 30 की क्रम संख्या 8, 13 व 14 एवं बिन्दु संख्या 33 में आंशिक संशोधन किया गया है, जिनका विवरण बेवसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in>, www.dipr.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं ayurved.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

विज्ञप्ति की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय आयुष मिशन
राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी
जयपुर

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email- mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

क्रमांक:- प.3(5)/रा.आ.मि./वित्त-क्रय समिति/2015/ 263-65 जयपुर, दिनांक:- 17/2/16

संशोधित ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा)

(आयुर्वेद निर्मित औषधियों के लिए)

राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा यूनानी निर्मित औषधियों के लिए दर संविदा आधारित क्रय के लिए जारी ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा) क्रमांक प.3(5)रा.आ.मि./वित्त-क्रय समिति/2015/145-155 जयपुर दिनांक 28.01.2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 8 को तथा "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 30 के क्रम संख्या 8 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- विगत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14, 2014-15) में औसतन टर्नओवर 10.00 करोड न्यूनतम हो। अर्थात गत तीन वर्षों का सकल टर्नओवर न्यूनतम 30.00 करोड हो। (संलग्नक-ग)
2. तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 13 तथा "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 30 के क्रम संख्या 13 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियम 1945 के प्रावधानों में वर्णित शैड्यूल टी.ए. के अनुसार औषध निर्माण हेतु उपयोग में लिए गये कच्चे औषध द्रव्यों के गत तीन वर्ष की सूची सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति।
3. तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 14 तथा "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 30 के क्रम संख्या 14 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- निर्माता द्वारा विगत तीन वर्षों (2012-13 से 2014-15) से निरन्तर निर्मित औषधियों की बैचवार सूची सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।
4. "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 33 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- तकनीकी बोली खुलने के बाद क्रय समिति यदि आवश्यक समझेगी तो सभी उपक्रमों/संस्थाओं/औषध निर्माताओं द्वारा तकनीकी बोली प्रपत्र में दिए गए प्रपत्रों का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण करवा सकेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फर्म को तकनीकी रूप से योग्य/अयोग्य करार किया जा सकेगा।

ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा) शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


मिशन निदेशक

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)
Email- mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

क्रमांक:- प.3(5)/रा.आ.मि./वित्त-क्रय समिति/2015/ 263-65 जयपुर, दिनांक:- 11/2/16

संशोधित ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा)

(होम्योपैथी निर्मित औषधियों के लिए)

राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा यूनानी निर्मित औषधियों के लिए दर संविदा आधारित क्रय के लिए जारी ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा) क्रमांक प.3(5)रा.आ.मि./वित्त-क्रय समिति/2015/145-155 जयपुर दिनांक 28.01.2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 8 को तथा "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 30 के क्रम संख्या 8 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- विगत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14, 2014-15) में औसतन टर्न ओवर 1.00 करोड न्यूनतम हो, अर्थात् गत तीन वर्षों का सकल टर्न ओवर न्यूनतम 3.00 करोड हो। (संलग्नक-ग)
2. तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 13 तथा "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 30 के क्रम संख्या 13 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियम 1945 के प्रावधानों में वर्णित शैड्यूल टी.ए. के अनुसार औषध निर्माण हेतु उपयोग में लिए गये कच्चे औषध द्रव्यों के गत तीन वर्ष की सूची सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति।
3. तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 14 तथा "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 30 के क्रम संख्या 14 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- निर्माता द्वारा विगत तीन वर्षों (2012-13 से 2014-15) से निरन्तर निर्मित औषधियों की बैचवार सूची सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।
4. "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 33 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- तकनीकी बोली खुलने के बाद क्रय समिति यदि आवश्यक समझेगी तो सभी उपक्रमों/संस्थाओं/औषध निर्माताओं द्वारा तकनीकी बोली प्रपत्र में दिए गए प्रपत्रों का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण करवा सकेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फर्म को तकनीकी रूप से योग्य/अयोग्य करार किया जा सकेगा।
ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा) शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


मिशन निदेशक

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)
Email- mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

क्रमांक:- प.3(5)/रा.आ.मि./वित्त-कय समिति/2015/ 263-65 जयपुर, दिनांक:- 17/2/16

संशोधित ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा)

(यूनानी निर्मित औषधियों के लिए)

राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा यूनानी निर्मित औषधियों के लिए दर संविदा आधारित क्रय के लिए जारी ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा) क्रमांक प.3(5)रा.आ.मि./वित्त-क्रय समिति/2015/145-155 जयपुर दिनांक 28.01.2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 8 को तथा "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 30 के क्रम संख्या 8 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- विगत तीन वर्षों (2012-13, 2013-14, 2014-15) में औसतन टर्न ओवर 1.00 करोड न्यूनतम हो, अर्थात् गत तीन वर्षों का सकल टर्न ओवर न्यूनतम 3.00 करोड हो। (संलग्नक-ग)
2. तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 13 तथा "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 30 के क्रम संख्या 13 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स नियम 1945 के प्रावधानों में वर्णित शैड्यूल टी.ए. के अनुसार औषध निर्माण हेतु उपयोग में लिए गये कच्चे औषध द्रव्यों के गत तीन वर्ष की सूची सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति।
3. तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 14 तथा "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 30 के क्रम संख्या 14 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- निर्माता द्वारा विगत तीन वर्षों (2012-13 से 2014-15) से निरन्तर निर्मित औषधियों की बैचवार सूची सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।
4. "औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तों" के बिन्दु संख्या 33 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :- तकनीकी बोली खुलने के बाद क्रय समिति यदि आवश्यक समझेगी तो सभी उपक्रमों/संस्थाओं/औषध निर्माताओं द्वारा तकनीकी बोली प्रपत्र में दिए गए प्रपत्रों का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण करवा सकेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फर्म को तकनीकी रूप से योग्य/अयोग्य करार किया जा सकेगा।
ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा) शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

मिशन निदेशक